

## संयुक्त निरीक्षण रिपोर्ट

आज दिनांक 26.09.2016 को प्रस्तावक विभाग की ओर श्री संजीव कुमार, सहायक अभियन्ता, लो0नि0वि0 तथा वन विभाग की ओर से श्री एस0के0 सक्सैना प्रभागीय निदेशक, सामाजिक वानिकी प्रभाग, एटा द्वारा जनपद एवं तहसील एटा में जनपद मुख्यालय एटा (एन0एच0-91 कि0मी0 202) से एटा कासगंज मार्ग (अन्य जिला मार्ग) एवं बरेली मथुरा मार्ग (राज्य मार्ग-33) का कासगंज जिला मुख्यालय तक चार लेन चौड़ीकरण एवं सुदृढीकरण कार्य (लम्बाई 0.00 से 20.00 कि0मी0) हेतु प्रस्तावित मार्ग के निर्माण हेतु संरक्षित वनभूमि के गैरवानिकी उपयोग की अनुमति हेतु संयुक्त निरीक्षण किया गया। जिसका विवरण निम्न प्रकार हैं :-

रेंज का नाम	विवरण	मार्ग के निर्माण हेतु क्षेत्रफल	बाधक वृक्ष
1.	जनपद मुख्यालय एटा (एन0एच0-91 कि0मी0 202) से एटा कासगंज मार्ग (अन्य जिला मार्ग) एवं बरेली मथुरा मार्ग (राज्य मार्ग-33) का कासगंज जिला मुख्यालय तक चार लेन चौड़ीकरण एवं सुदृढीकरण कार्य (लम्बाई 0.00 से 20.00 कि0मी0)।	$11250 \times 12 = 135000$ (1000 Bypass) $7750 \times 12 = 93000$ (20000) = 228000 वर्ग मी0 = 22.80 Hac.	2435 2420 वृक्ष P (सूची संलग्न)

प्रस्तावित कार्य हेतु अपेक्षित 22.80 है0 संरक्षित वन भूमि की माँग न्यूनतम है एवं इसके अतिरिक्त कोई विकल्प उपलब्ध नहीं है। प्रस्तावक विभाग द्वारा वन (संरक्षण) अधिनियम 1980 का उल्लंघन नहीं किया गया है। प्रस्तावित भूमि संरक्षित वन भूमि घोषित है। प्रस्तावित स्थल की जी0पी0एस0 रीडिंग मानचित्र में संलग्न है।

(संजीव कुमार)

सहायक अभियन्ता  
प्रान्तीय खण्ड, लो0नि0वि0एटा

(पी0पी0 सिंह)

अभिशासी अभियन्ता  
प्रान्तीय खण्ड, लो0नि0वि0एटा

(एस0के0 सक्सैना)

प्रभागीय निदेशक,  
सामाजिक वानिकी प्रभाग, एटा  
सा0 वा0 वन प्रभाग  
एटा